

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / छात्रवृत्ति / सेल-डी / मु.ह.बे.यो. / 2020-21

दिनांक :

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2020-21

मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना

1. पात्रता / शर्तें :-

A. नवीन चयन की बालिकाओं हेतु -

- राजस्थान के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 10 में नियमित अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की माध्यमिक परीक्षा में -
 - जिले में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली दो मेधावी बालिकाएं जिनके न्यूनतम अंक 75% हों। (कुल 66)
 - जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बी.पी.एल. परिवार की एक बालिका जिसके न्यूनतम अंक 75% हों। (कुल 33)
 - जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली एक अनाथ बालिका जिसके न्यूनतम अंक 75% हों। (कुल 33)

इस प्रकार राज्य से प्रतिवर्ष कुल 132 बालिकाओं का चयन किया जाएगा।

- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की माध्यमिक परीक्षा में बालिका की मेरिट की गणना उस जिले में होगी जिस जिले में वह कक्षा 10 में अध्ययनरत थी।
- यदि जिले की स्थायी मेरिट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा परिवर्तन करने से बालिका के प्रथम अथवा द्वितीय स्थान में बदलाव होता है तो उसी के अनुसार इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाली बालिका के स्थान में भी बदलाव किया जा सकेगा। किन्तु बदलाव होने तक वित्तीय लाभ ले चुकी बालिका से उस समय तक दी जा चुकी सहायता राशि वापस नहीं ली जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की माध्यमिक परीक्षा में बालिकाओं के समान अंक होने पर जिस बालिका के क्रमशः :- गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में अधिक अंक होंगे उसका चयन किया जाएगा। इन विषयों में भी बालिकाओं के समान अंक होने पर अधिक उम्र वाली बालिका का चयन किया जावेगा।

B. गत वर्षों की चयनित बालिकाओं हेतु -

बालिका द्वारा आगामी नवीन कक्षा / प्रशिक्षण में नियमित प्रवेश लेने का प्रमाणपत्र।

2. चयन-प्रक्रिया एवं देय राशि :-

- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से प्राप्त जिले में प्रथम तीन तथा बी.पी.एल. श्रेणी की प्रथम तीन बालिकाओं की जिलेवार सूची प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय को उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय योजना की पात्रता एवं शर्तों के अनुरूप इस सूची में से दो मेधावी तथा एक बीपीएल बालिका का चयन करेंगे साथ ही वे स्वयं के स्तर पर क्षेत्राधीन संस्थाप्रधानों से सम्पर्क कर अपने जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली एक अनाथ बालिका का भी चयन करेंगे।
- प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय अपने जिले की उपरोक्त 04 चयनित पात्र बालिकाओं के अंतिम चयन की पुष्टि करेंगे।
- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय अंतिम रूप से चयनित 04 बालिकाओं की प्रपत्र-1 में सूचना तैयार कर पृथक पत्रावली संधारित करेंगे तथा प्रपत्र-1 की एक-एक प्रति

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर को सूची प्राप्त होने के 15 दिवस में उपलब्ध करवाएंगे।

- चयनित मेधावी बालिकाओं को वित्तीय सहायता कक्षा-11/व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण से स्नातकोत्तर की शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने तक प्रदान की जाएगी।

कक्षा	वार्षिक देय राशि का विवरण	
	एकमुश्त – पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, युनिफॉर्म इत्यादि हेतु (बालिका के बैंक खाते में)	प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग-छात्रावास का शुल्क (संबंधित संस्था के बैंक खाते में)
11 व 12/समकक्ष	रु 15,000/-	अधिकतम रु 1,00,000/-
12 के बाद स्नातकोत्तर तक	रु 25,000/-	अधिकतम रु 2,00,000/-

3. सहायता राशि भुगतान प्रक्रिया :-

- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय अपने जिले की 04 बालिकाओं के चयन के पश्चात 15 दिवस में बालिका से वांछित दस्तावेज प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात वे बालिका को **एकमुश्त दी जाने वाली राशि** की स्वीकृति **30 सितम्बर 2020** से पूर्व जारी कर बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर को भेजते हुए प्रतिलिपि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय यह राशि बालिका के बैंक खाते में **15 अक्टूबर 2020** तक जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। बालिका द्वारा आगामी कक्षाओं/प्रशिक्षण में प्रवेश लेने पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- बालिका द्वारा **प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग-छात्रावास की शुल्क राशि** का भुगतान करने हेतु आवेदन प्रपत्र-2 में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-मुख्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-मुख्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन का सत्यापन कर आवेदन प्राप्ति से 15 दिवस में दी जाने वाली राशि की स्वीकृति जारी कर बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर को भेजते हुए प्रतिलिपि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को देंगे। सहायता राशि संस्था के बैंक खाते में तत्काल जमा करवाई जाएगी। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष अपनाई जाएगी।
- बालिका द्वारा प्रपत्र-2 में आवेदन वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार भी प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु एक वित्तीय वर्ष में कुल स्वीकृत राशि कक्षा 11-12/समकक्ष प्रशिक्षण हेतु रु 1 लाख तथा कक्षा 12 के बाद स्नातकोत्तर तक रु 2 लाख से अधिक नहीं होगी।
- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय अपने जिले की गत वर्ष तक योजनान्तर्गत चयनित समस्त बालिकाओं को भी पात्रता का सत्यापन करते हुए उपरोक्तानुसार एकमुश्त देय राशि/कोचिंग-छात्रावास शुल्क सहायता राशि की स्वीकृति जारी कर बालिका/संस्था के बैंक खाते में जमा करवाएंगे।
- प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-मुख्यालय द्वारा वित्तीय-वर्ष में योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाई गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष 07 अप्रैल तक सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर को प्रस्तुत करते हुए प्रति निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करनी होगी।

4. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :-

प्रपत्र-1 के साथ -

1. बालिका की कक्षा 10 की अंकतालिका केवल पहली बार प्रपत्र-1 के साथ (स्वप्रमाणित प्रति)।
2. बालिका की पात्रता की पुष्टि का प्रमाणपत्र (जिशिअ, मा-मु द्वारा हस्ताक्षरित) केवल पहली बार प्रपत्र-1 के साथ।
3. बी.पी.एल. बालिका के लिए बी.पी.एल. सूची में परिवार सम्मिलित होने का साक्ष्य केवल पहली बार प्रपत्र-1 के साथ।
4. अनाथ बालिका के लिए माता-पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र केवल पहली बार प्रपत्र-1 के साथ।
5. बालिका स्वयं की बैंक पासबुक की छायाप्रति केवल पहली बार प्रपत्र-1 के साथ (स्वप्रमाणित प्रति)।
6. बालिका के कक्षा 11 वीं/व्यावसायिक शिक्षा में किसी भी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश लेने का प्रमाणपत्र।

प्रपत्र-2 के साथ -

1. बालिका द्वारा आगामी कक्षाओं/व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश लेने का प्रमाणपत्र (प्रतिवर्ष)।
2. बालिका द्वारा दिया जाने वाले शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग शुल्क का विवरण मय दस्तावेज (प्रतिवर्ष)।

मेधावी बालिका (छात्रा) के सम्बन्ध में आधार सूचना पत्र

छात्रा की
नवीनतम फोटो

प्रपत्र-1

क्र.सं	विवरण	
1.	बालिका का नाम (हिन्दी में)	
2.	बालिका का नाम (अंग्रेजी में)	
3.	जन्म तिथि	
4.	पिता का नाम	
5.	माता का नाम	
6.	वर्तमान निवास का पता	
7.	स्थायी निवास का पता	
8.	जन आधार कार्ड संख्या	
9.	आधार कार्ड संख्या	
10.	विद्यालय का नाम जहां से कक्षा 10 उत्तीर्ण की गई है	
11.	10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में स्थान	
12.	कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक एवं प्रतिशत (10वीं बोर्ड की अंकतालिका की प्रति संलग्न करें।)	
13.	कक्षा 11 में अध्ययनरत/प्रशिक्षण संस्था का नाम व पता	
14.	संस्थाप्रधान का नाम	
15.	संस्थाप्रधान का मोबाईल नम्बर	
16.	मोबाईल नम्बर (स्वयं/पिता का)	
17.	बैंक का नाम एवं शाखा जिसमें बालिका का खाता है।	
18.	खाता संख्या	
19.	आई.एफ.एस.सी.(I.F.S.C)कोड नम्बर	

मेधावी बालिका (छात्रा) द्वारा सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

1. स्वयं के बारे में जानकारी

क्र.सं	विवरण	
1.	बालिका का नाम (हिन्दी में)	
2.	बालिका का नाम (अंग्रेजी में)	
3.	पिता का नाम	
4.	माता का नाम	
5.	वर्तमान निवास का पता	
6.	स्थायी निवास का पता	
7.	मोबाईल नम्बर (स्वयं/पिता का)	
8.	जन आधार कार्ड संख्या	
9.	आधार कार्ड संख्या	
10.	छात्रा के बैंक का नाम एवं शाखा	
11.	खाता संख्या	
12.	आई.एफ.एस.सी.(I.F.S.C)कोड नम्बर	

2. शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान को शुल्क भुगतान हेतु दी जाने वाली सूचना

1.	अध्ययनरत कक्षा	
2.	संस्थान का नाम एवं पूर्ण पता	
3.	संस्था प्रधान का नाम	
4.	मोबाईल नम्बर	
5.	छात्रा द्वारा दिया जाने वाला शिक्षण/प्रशिक्षण शुल्क का विवरण मय दस्तावेज	
6.	शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	
7.	संस्था के बैंक खाते का नाम एवं शाखा	
8.	खाता संख्या	
9.	आई.एफ.एस.सी.(I.F.S.C)कोड नम्बर	

3. छात्रावास शुल्क के भुगतान हेतु दी जाने वाली सूचना (यदि लागू हो)

1.	छात्रावास का नाम व पता	
2.	छात्रावास अधीक्षक का नाम	
3.	अधीक्षक का मोबाईल नम्बर	
4.	छात्रा द्वारा दिया जाने वाले शिक्षण/प्रशिक्षण शुल्क का विवरण मय दस्तावेज	
5.	शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	
6.	छात्रावास/संस्था के बैंक का नाम एवं शाखा	
7.	खाता संख्या	
8.	आई.एफ.एस.सी.(I.F.S.C)कोड नम्बर	

4- कोचिंग शुल्क के भुगतान हेतु दी जाने वाली सूचना (यदि लागू हो)

1.	संस्थान का नाम व पता	
2.	संस्थान के प्रभारी/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	
3.	मोबाईल नम्बर	
4.	संस्थान द्वारा छात्रा को दी जा रही कोचिंग सुविधा का विवरण	
5.	छात्रा द्वारा दिया जाने वाले कोचिंग शुल्क का विवरण मय दस्तावेज	
6.	शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	
7.	संस्थान के बैंक का नाम एवं शाखा	
8.	खाता संख्या	
9.	आई.एफ.एस.सी.(I.F.S.C)कोड नम्बर	

5- अन्य संस्था को भुगतान हेतु दी जाने वाली सूचना (यदि लागू हो)

1.	कार्य का विवरण जिसके लिए शुल्क दिया जा रहा है	
2.	संस्था प्रधान का नाम व पता	
3.	संस्थान के प्रभारी/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	
4.	मोबाईल नम्बर	
5.	संस्थान द्वारा छात्रा को प्रदत्त सुविधा का विवरण	
6.	छात्रा द्वारा दिए जाने वाले शुल्क का विवरण मय दस्तावेज	
7.	शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	
8.	संस्थान के बैंक का नाम एवं शाखा	
9.	खाता संख्या	
10.	आई.एफ.एस.सी.(I.F.S.C)कोड नम्बर	

